रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072024-255171
CG-DL-E-04072024-255171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2446] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946
No. 2446] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2024

का.आ. 2581(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्टील वायर्स या स्ट्रैण्ड्स, नायलॉन या वायर रोप्स तथा वायर मेश (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या लोप की जाने वाली चीजों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -(1) इस आदेश को स्टील वायर्स या स्ट्रैण्ड्स, नायलॉन या वायर रोप्स तथा वायर मेश (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) इस आदेश में अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग –तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा (2) के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत कॉलम प्रविष्टि के अंतर्गत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी–इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्र.सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा)	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टील वायर्स या स्ट्रैण्ड्स, नायलॉन या वायर रोप्स तथा वायर मेश	2266: 2019	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन के लिए स्टील वायर्स रोप्स	1 दिसम्बर, 2024	1 जून, 2025	1 मार्च, 2025
2		2365: 2018	लिफ्ट, एलिवेटर और हॉइस्ट के लिए स्टील वायर सस्पेंशन रोप्स			
3		1855: 2022	खदानों में वाइन्डिंग और मैनराइडिंग हॉलेजेज के लिए स्टील वायर रोप्स			
4		1856: 2005	हॉलेज प्रयोजन के लिए स्टील वायर रोप्स			
5		2141:2000	हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टे स्ट्रैण्ड			
6		4521:2001	ऑयल वेल्स और ऑयल वेल्स ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले वायर रोप्स			
7		6590:1972	पर्वतारोहण के लिए ब्रेडेड नायलॉन रोप्स			
8		278:2009	फेंसिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील बार्ब्ड वायर			
9		16014:2018	सिविल इंजीनियरिंग प्रयोजन के लिए मेकैनिकली वुवेन, डबल ट्विस्टेड, हेक्सागोनल वायर मेश गेबियन, रिवेट मैट्रेसेस तथा रॉक फॉल नेटिंग् और अन्य प्रोडक्ट (पॉलिमर कोटिंग के साथ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर अथवा गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर)			

नोट –इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा.सं. पी- 29026/3/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE and INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 3rd July, 2024

S.O. 2581(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Steel Wires or Strands, Nylon or Wire Ropes and Wire mesh (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) This order may be called the Steel Wires or Strands, Nylon or Wire Ropes and Wire mesh (Quality Control) Order, 2024.

(2) Save as otherwise provided in this Order, it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-**Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. **Certification and enforcement authority.-**The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

4. **Penalty for Contravention. –**Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementation for Micro Enterprises	Date of Implementation for Small Enterprises
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Steel Wires or Strands, Nylon or Wire Ropes and Wire mesh	2266:2019	Steel Wire Ropes for General Engineering Purposes	1st December, 2024	1st June, 2025	1st March, 2025
2		2365:2018	Steel Wire Suspension Ropes for Lifts, Elevators and Hoists			
3		1855:2022	Stranded steel wire ropes for winding and man - Riding haulages in mines			
4		1856:2005	Steel Wire Ropes for Haulage Purposes			
5		2141:2000	Hot Dip Galvanized Stay Strand			
6		4521:2001	Wire Ropes Used in Oil Wells and Oil Well Drilling			
7		6590:1972	Braided Nylon Ropes for Mountaineering			
8		278: 2009	Galvanized Steel			

			Barbed Wire for Fencing			
9		16014:2018	Mechanically Woven, Double-Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting and Other products for Civil Engineering Purposes (Galvanized Steel Wire or Galvanized Steel Wire with polymer coating)			

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P- 29026/3/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.07.04 21:44:18 +05'30'